रूपये प्रति वर्गमीटर से कुल मुआवजा राशि 87300/- (अक्षरे सितियासी हजार तीन सौ रुपये) जमा करवाया जाना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना उचित समझते है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिए राजस्व ग्राम पाटवा के खसरा न. 1134/6 रकबा 0.5261 किस्म चाही सोयम भूमि में से होकर चल रहे रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। भू-अभिलेख निरीक्षक बेडकलां की मौका रिपोर्ट में दर्शित विकल्प ही न्यूनतम एवं एक मात्र विकल्प है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते को ही दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिए राजस्व ग्राम पाटवा के खसरा न. 1134/6 रकबा 0.5261 किस्म चाही सोयम भूमि में से होकर चल रहे रास्ता दर्शित नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाना है कुल 1000 वर्गमीटर जिसके प्रतिकर स्वरुप निर्धारित कुल राशि 87300/- (अक्षरे सितियासी हजार तीन सौ रुपये) प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान को रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीअंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का -पाटवा, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर राजस्थान में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि 1135 रकबा 1.8046 किस्म बारानी अव्वल की जमीन तक पहुँच मार्ग के लिये अभिलिखित रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी राजस्व ग्राम पाटवा के खसरा न. 1134/6 रकबा 0.5261 किस्म चाही सोयम भूमि में से दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 200 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो कुल रकबा 1000 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण के खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी खसरा न. 1134/6 रकबा 0.5261 किस्म चाही सोयम भूमि में से कम किया गया कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 87300/- (अक्षरे सितियासी हजार तीन सौ रूपये) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 87300/- रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित पक्षकार को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू-अभिलेख निरीक्षक-बेडकलां द्वारा तैयार दिनांक 24.10.2024 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का एक भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)